कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 201 /दो—16—10/2024 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2026

श्रीमती आयुषी गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी, जिला नर्मदापुरम का दिनांक 03.02.2026 से 06.02.2026 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्याल से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

3— अवकाश अवधि में वेतनभत्ते उसी दर से देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व मिलते थे।

4— आवेदिका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी, जिला नर्मदापुरम के पद पर पदस्थ रहतीं।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ. क.818 /दो—16—10/2024 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2026

आदेशानुसार प्रतिलिपिः—

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02 श्रीमती आयुषी गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी, जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

13/2/26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)